इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2021—कार्तिक 28, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

प्रगति भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन—1, एम.पी. नगर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2021

प्ररूप अठारह

[नियम 19 (5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास योजना की घोषणा हेतु सूचना]

पत्र क्र. 683—मुकाअ—का.य.—1—भोविप्रा—2021.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा भोपाल विकास योजना 2005 के 45.00 मीटर चौड़े मार्ग निर्माण के लिये प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक 201/2020, यथा ग्राम मिसरोद, जाटखेड़ी, बागली, कटारा एवं बर्राई (क्षेत्र का वर्णन जिसमें स्कीम प्रस्तावित की गई है) में तैयार की गई है. शासन से प्राप्त अनुमति के अनुसार अधिनियम की धारा 50 (2) में प्रकाशित खसरों के अतिरिक्त निम्न खसरे जो योजना क्षेत्र में शामिल होकर अथवा अन्य कारणों से, जैसा कि दर्शाया गया है, प्रकाशन से छूट गये हैं, योजना में सम्मिलित माने जावेंगे.

क्रमांक	भू स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्राम कटारा				
1.	नसिम बनो पुत्री श्री शेख वहीद	327/5	0.800	योजना क्षेत्र में सम्मिलित, 45.00 मीटर मार्ग के लिये आवश्यक.
2.	नसिम बनो पुत्री श्री अब्दुल वहीद	327/6	0.800	
3.	शमीम बनो पुत्री श्री अब्दुल वहीद	327/7	0.800	
4.	श्री निसार अहमद, नासीर अहमद, अनसार अहमद, अनीस अहमद आ. श्री अबदुल अहमद.	328/1/1/1	0.890	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	श्री महेश शर्मा आ. श्री शिवरतन शर्मा एवं 3 अन्य	328/1/1/2	0.144	
6.	श्रीमति पुनम यादव पत्नी श्री गजेन्द्र यादव	328/1/2	0.009	
7.	श्रीमति पुनम यादव पत्नी श्री गजेन्द्र यादव	328/2	0.021	
8.	श्री सुमित नारायण दुबे आ. श्री रामसेवक दुबे	328/1/3	0.018	
9.	श्री शिवम पवांर आ. श्री रमेश पवांर	328/1/4	0.014	
10.	श्री निरपत सिंह बघेल आ. श्री अनंतराम बघेल	328/3	0.042	
11.	मो. शरीफ आ. श्री सुलेमान खान, **ग्राम मिसरोद**	440	1.200	मार्ग की निरंतरता के लिये आवश्यक.
12.	रामदयाल आ. श्री कैलाशनारायण एवं अन्य	269	समस्त बटानों सहित.	योजना क्षेत्र में सम्मिलित 45.00 मीटर मार्ग के लिये आवश्यक.

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त भी कुछ खसरा नम्बर के बटान, जो योजना क्षेत्र में सम्मिलित होकर प्रकाशन में रह गये हैं, योजना में सम्मिलित माने जावेंगे.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम, 19 के उपनियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध हैं :

1. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
2. जिला कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल

तथा, प्राधिकरण की वेबसाईट **www.bda.org.in** पर भी प्रकाशित.

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास योजना के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होते हैं, पर विचार किया जाएगा.

(G-755)

प्ररूप अठारह

[नियम 19 (5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास योजना की घोषणा हेतु सूचना]

पत्र क्र. 684—का.य.—1—भोविप्रा—2021.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक 205/2020, शासन से प्राप्त अनुमति के अनुसार भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित वाणिज्यिक भू उपयोग के अंतर्गत रक्षा विहार, चरण—3, ग्राम मुबारकपुर में तैयार की गई है.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानंकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उपनियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध हैं :—

1. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
2. जिला कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल

तथा, प्राधिकरण की वेबसाईट (अर्थात्) **bda.org.in** पर भी प्रकाशित.

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास योजना के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होते हैं, पर विचार किया जाएगा.

(G-756)

प्ररूप अठारह

[नियम 19 (5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास योजना की घोषणा हेतु सूचना]

पत्र क्र. 685–मुकाअ–का.य.–3–भोविप्रा–2021.–एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक 206/2020, शासन से प्राप्त अनुमति के अनुसार भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित वाणिज्यिक एवं आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत ऐअरोसिटी, चरण–2, ग्राम मुबारकपुर एवं कुराना में तैयार की गई है.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उपनियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध हैं :–

1. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
2. जिला कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल

तथा, प्राधिकरण की वेबसाईट (अर्थात्) **bda.org.in** पर भी प्रकाशित.

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास योजना के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होते हैं, पर विचार किया जाएगा.

बुद्धेश कुमार वैद्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-757)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम राम गुप्ता था, जो अब परिवर्तित होकर आदित्य गुप्ता (Aditya Gupta) हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(राम गुप्ता)

नया नाम
(आदित्य गुप्ता)
(ADITYA GUPTA)
379, इन्द्रपुरी कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-758)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कमला नीमा था, जो अब परिवर्तित होकर कमला गुप्ता (Kamla Gupta) हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(कमला नीमा)

नया नाम
(कमला गुप्ता)
(KAMLA GUPTA)
379, इन्द्रपुरी कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-759)

उपनाम परिवर्तन

मुझ प्रकाशनकर्ता का नाम राकेश कुमार गुप्ता, सहायक उप–निरीक्षक, कृषि उपज मण्डी समिति, भितरवार, जिला ग्वालियर, उम्र 54 वर्ष, जन्म दिनांक 07–01–1967, निवासी– भरोषी की धर्मशाला रोड, दत्तपुरा, मुरैना, जिला मुरैना ने अब अपना नाम बदलकर राकेश अग्रवाल कर लिया है. अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे तथा समस्त शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम पढ़ा जावें.

पुराना नाम	नया नाम
(राकेश कुमार गुप्ता)	**(राकेश अग्रवाल)**
पुत्र– स्व. श्री शिवचरण लाल गुप्ता	पुत्र– स्व. श्री शिवचरण लाल गुप्ता निवासी– भरोषी की धर्मशाला रोड, दत्तपुरा, मुरैना, जिला मुरैना.

(G-760)

नाम परिवर्तन

मैं, PHOOLCHAND TANDILKAR S/o TUMLA TANDILKAR निवासी– एच–31, श्रीराम विला फेस–2, खजूरी कलां, भोपाल (म.प्र.) का हूँ. यह कि मेरे अंकसूची, दस्तावेजों में मेरा नाम FOOLCHAND TANDILKAR दर्ज हो गया है. जहां कहीं भी मेरा नाम FOOLCHAND TANDILKAR दर्ज है, उसके स्थान पर PHOOLCHAND TANDILKAR पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(FOOLCHAND TANDILKAR)	**(PHOOLCHAND TANDILKAR)**

(G-761)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम नेहा सुर्यवानी था, जिसे अब बदलकर हिरीशा बुधवानी कर लिया है. अतः अब से सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम हिरीशा बुधवानी से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नेहा सुर्यवानी)	**(हिरीशा बुधवानी)** पति– गिरीश बुधवानी, 91, भंवरकुआ, मेन रोड, इन्दौर , (म.प्र.).

(G-762)

नाम परिवर्तन

मैं, लीलाराम रामरखियानी पिता किशनचन्द्र रामरखियानी, निवासी– 30, महादेव सोसायटी, संत कंवरराम कॉलोनी, बड़ोदा (गुजरात), हालमुकाम 107, दीप भवन, शास्त्रीनगर, रतलाम (म.प्र.). सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह प्रकाशित करवा देती हूँ, कि दिनांक 18–11–1993 को मेरा विवाह श्री दीपक आइलदासानी पिता राधाकिशनजी आइलदासानी, निवासी–107, दीप भवन, शास्त्रीनगर, रतलाम (म.प्र.) के साथ सम्पन्न होने के उपरान्त से मैंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया होकर मैं, लीला रामरखियानी पिता किशनचन्द्र रामरखियानी के स्थान पर नेहा आइलदासानी पति दीपक आइलदासानी के नाम से जानी जाती हूँ एवं भविष्य में भी उक्त परिवर्तित नाम से ही जानी, पहचानी जाती रहूंगी.

पुराना नाम	नया नाम
(लीला रामरखियानी)	**(नेहा आइलदासानी)**
पिता– किशनचन्द्र रामरखियानी	पता– 107, दीप भवन, शास्त्रीनगर, रतलाम (म.प्र.)

(G-763)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम ईश्वरी कुमारी दहायत पिता श्री कुंजीलाल दहायत था. विवाह के उपरांत मुझे ईश्वरी दाहिया एवं कामिनी दाहिया पति श्री दिलीप दाहिया के नाम से पुकारा जाने लगा है, जो शासकीय/अशासकीय एवं पति के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज है. उक्त नाम मेरे ही हैं.

अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम कामिनी दाहिया पति श्री दिलीप दाहिया शासकीय/अशासकीय एवं पति के सर्विस रिकॉर्ड में पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम
(ईश्वरी दहायत)
पुत्री श्री कुंजीलाल दहायत.

नया नाम
(कामिनी दाहिया)
पति श्री दिलीप दाहिया,
पता— 2998, गली नं. 4,
रविदास नगर, ग्वारीघाट,
जबलपुर (म.प्र.).

(G-764)

NAME DECLARATION

I, HEMANT RAHANGDALE S/O KHOK CHAND RAHANGDALE R/O WARD NO. 01, SAMRAT NAGAR, WARASEONI, DISTT.- BALAGHAT (M.P.) PIN-481331. DO HERE BY SOLEMNLY AFFIRM AND DECLARE THAT THE NAMES HEMANT KUMAR AND HEMANT RAHANGDALE BELONGES TO THE SAME IDENTICAL PERSON, MY REGISTERED NAME ON ITR IS HEMANT KUMAR HENCE IT SHOULD BE CONSIDERED AS MINE FOR FUTURE CONSIDERATIONS.

Old Name
(HEMANT KUMAR)

New Name
(HEMANT RAHANGDALE)
WARD NO. 01, SAMRAT NAGAR,
WARASEONI, DISTT.- BALAGHAT (M.P.)
PIN-481331.

(G-765)

CHANGE OF NAME

Before marriage my name was Chitra Hotwani D/o Ashok Kumar Hotwani after marriage I have changed my name Hema Wadhwani W/o Dinesh Kumar Wadhwani.

Old Name
(CHITRA HOTWANI)

New Name
(HEMA WADHWANI)
A New 20/199, Near Community Hall,
Bairagarh, Bhopal (M.P.).

(G-766)

NAME CHANGE

I, TAHA PITHAWALA here by declare that I have changed my name as TAHA LASHKARWALA S/O SHABBIR HUSSAIN LASHKARWALA, so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name
(TAHA PITHAWALA)

New Name
(TAHA LASHKARWALA)
143, Masakin E Saifiya, Bijalpur,
Indore, M.P.

(G-767)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम दोरा सिंह मरमट पिता स्व. श्री कन्हैयालाल मरमट है, परन्तु सर्वसाधारण में मुझे डी.एस. मरमट पिता स्व. श्री कन्हैयालाल मरमट एवं धारासिंह मरमट के नाम से बोलचाल भाषा में समझते हैं, जो त्रुटिपूर्ण है. मेरा नाम वास्तविकता में एवं शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में दोरा सिंह मरमट (DORA SINGH MARMAT) है.

जहां कहीं भी मेरा नाम धारासिंह मरमट लिखा है. (DHARA SINGH MARMAT) लिखा गया है, उसे सुधारकर दोरासिंह मरमट (DORA SINGH MARMAT) लिखा जावे तथा पढ़ा जावे. भविष्य में भी जहां पर भी धारासिंह मरमट लिखा गया है, उस त्रुटि को सुधारकर दोरासिंह मरमट पिता कन्हैयालाल मरमट (DORA SINGH MARMAT) लिखा, पढ़ा एवं समझा जावे.

सूचित हो.

(दोरासिंह मरमट)
पता– मकान नंबर 125, प्रकाशनगर,
तीनबत्ती चौराहा, उज्जैन (म.प्र.)
मोबाइल नंबर 6265045683.

(G-768)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं गृति कुमावत पिता श्री दिलीप कुमावत, पता– 87 / 2, बी.के. सिंधी कॉलोनी, इंदौर–452001 (म.प्र.) अपना पूर्व नाम अलिशा कुमावत पिता श्री दिलीप कुमावत को पूर्णतः त्यागती हूँ, छोड़ती हूँ तथा उसका परित्याग करती हूँ उसके स्थान पर गृति कुमावत नाम अंगीकार करती हूँ और आगे भविष्य में मुझे इसी नाम से पुकारा जाए, जाना जाए और पहचाना जाए, ना कि पूर्व नाम से.

पुराना नाम
(अलिशा कुमावत)

नया नाम
(गृति कुमावत)

(G-769)

COMMUNIQUE

This is inform to all that I Madho Rao S/o Late Sampat Rao Deshmukh Residing at H.No. 93, Sector-C, Sonagiri, Raisen Road, Bhopal (M.P.) Pin No. 462022. That my name Madho Rao is recorded in the service record at the time of joining service. That my surname Deshmukh is to be included in my present name from Madho Rao to Madhao Rao Deshmukh. That I shall at all times hereafter in all record, deeds and writing and in all proceeding dealing with transactions, private as well as under all occasions what so ever be, my name will be as Madho Rao Deshmukh.

Old Name
(MADHO RAO)
S/o Late Sampat Rao Deshmukh

New Name
(MADHO RAO DESHMUKH)
S/o Late Sampat Rao Deshmukh.

(G-770)

उपनाम परिवर्तन

मैं, ओम प्रकाश कोरी, पिता स्वर्गीय श्री गनपत, दि, न्यू इंडिया एंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड में उप–प्रबंधक के पद पर ग्वालियर मण्डल कार्यालय क्र. 1 में पदस्थ हूँ तथा मैं नमन अपार्टमेंट, फ्लेट क्रमांक 201, गोविन्दपुरी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश में सपरिवार सहित निवासरत हूँ. मैं अपना नाम ओम प्रकाश कोरी से बदलकर ओम प्रकाश निवारिया कर लिया हूँ. अब मैं, भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए इसी नाम से जाना जाऊंगा.

पुराना नाम
(ओम प्रकाश कोरी)
पुत्र श्री गनपत

नया नाम
(ओम प्रकाश निवारिया)
पुत्र श्री गनपत,
निवासी– नमन अपार्टमेंट, फ्लेट नम्बर 201,
यूनिवर्सिटी रोड, गोविन्दपुरी, ग्वालियर, म.प्र.

(G-771)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अंकसूची में मेरा नाम राम कुमार वर्मा अंकित है एवं मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम राम कुमार दर्ज है. ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राम कुमार के स्थान पर राम कुमार वर्मा नाम से जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावें.

पुराना नाम
(राम कुमार)
(RAM KUMAR)

नया नाम
(राम कुमार वर्मा)
(RAM KUMAR VERMA)

(G-772)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक में मेरा नाम सुन्दर लाल कुशवाहा अंकित है एवं मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम सुन्दर लाल दर्ज है. ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सुन्दर लाल के स्थान पर सुन्दर लाल कुशवाहा नाम से जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावें.

पुराना नाम
(सुन्दर लाल)
(SUNDER LAL)

नया नाम
(सुन्दर लाल कुशवाहा)
(SUNDER LAL KUSHWAHA)
H.No. B-70, Sidhhi Vinayak Colony,
Madai V.F.J., Thana Ranjhi, Jabalpur.

(G-773)

नाम परिवर्तन

मैं, कुमारी सुरभि डहरवाल, आयु करीब 22 साल, पिता श्री ईश्वरी प्रसाद डहरवाल, निवासी ग्राम जराहमोहगांव, पोस्ट जराहमोहगांव, थाना व तहसील कटंगी, जिला बालाघाट जिसका स्कूली दस्तावेज कक्षा 10वीं की अंकसूची और ट्रांसफर सर्टिफिकेट में कुमारी सुरभि डहरवाल पिता आई.पी. डहरवाल और माता का नाम इंदु डहरवाल कक्षा 12वीं की अंकसूची में कुमारी सुरभि डहरवाल पिता आई.पी. डहरवाल दर्ज है.

मैं, कुमारी सुरभि डहरवाल, आयु करीब 22 साल, पिता श्री ईश्वरी प्रसाद डहरवाल, निवासी ग्राम जराहमोहगांव, पोस्ट जराहमोहगांव, थाना व तहसील कटंगी, जिला बालाघाट अपने समस्त शासकीय दस्तावेजों के तहत् मेरा नाम कुमारी सुरभि डहरवाल पिता का नाम ईश्वरी प्रसाद डहरवाल, माता का नाम श्रीमती द्रोपती डहरवाल है और मैं इसी नाम से अपने परिवार जाति, समाज और पूरे क्षेत्र में जानी, पहचानी जाती हूँ. यही मेरा वास्तविक नाम है, इसे ही समस्त दस्तावेजों में लिखा, पढ़ा एवं समझा जावे.

आवेदिका,
(कुमारी सुरभि डहरवाल)

(G-774)

उपनाम परिवर्तन

मैं, प्रकाश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामसिया विश्वकर्मा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम प्रकाश कुमार विश्वकर्मा था. विश्वकर्मा मेरा गोत्र होने से प्रकाश कुमार विश्वकर्मा मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैंसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य प्रपत्र इत्यादि में लिखा गया है, जबकि मैं वर्तमान में निक नेम प्रकाश कुमार शर्मा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और भविष्य में भी मैं, प्रकाश कुमार शर्मा के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूंगा. अतः सूचना प्रकाशन के पश्चात् मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम प्रकाश कुमार विश्वकर्मा के स्थान पर प्रकाश कुमार शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे एवं मुझे प्रकाश कुमार शर्मा के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम
(प्रकाश कुमार विश्वकर्मा)

नया नाम
(प्रकाश कुमार शर्मा)
पुत्र– श्री रामसिया विश्वकर्मा,
ग्राम, पोस्ट प्रपोध, तहसील ब्यौहारी,
जिला शहडोल (मध्यप्रदेश).

(G-775)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रखर अग्रवाल पिता राजीव गुप्ता का नाम सी.बी.एस.ई. 10वीं की अंकसूची में प्रखर अग्रवाल पिता राजीव गुप्ता नाम दर्ज है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम प्रखर अग्रवाल पिता राजीव कुमार गुप्ता है. सही नाम मेरे सभी शासकीय, शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम पढ़ा, लिखा एवं मान्य किया जावे.

पुराना नाम
(प्रखर अग्रवाल)
पिता– राजीव गुप्ता,

नया नाम
(प्रखर अग्रवाल)
पिता– राजीव कुमार गुप्ता,
3600/1, त्रिमूर्तिनगर, जबलपुर (म.प्र.).

(G-776)

नाम परिवर्तन निरस्तीकरण सूचना

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–3 (1), दिनांक 17–09–2021 के पृष्ठ क्रमांक 837 पर सूचना क्रमांक जी–522, श्री अमृत धोटे ऊर्फ मारूती धोटे, निवासी 586, वार्ड क्रमांक 16, आजाद नगर, पाथाखेड़ा नगर, पाथखेड़ा, जिला बैतूल के नाम परिवर्तन संबंधी सूचना का प्रकाशन किया गया था. प्राप्त शिकायत के आधार पर आवक दिनांक 17–11–2021 को कार्यालय, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 130–आमला एवं कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, सारनी, जिला बैतूल (म.प्र.) से प्राप्त जानकारी के आधार पर श्री अमृत धोटे ऊर्फ मारूती धोटे, निवासी 586, वार्ड क्रमांक 16, आजाद नगर, पाथाखेड़ा नगर, पाथखेड़ा, जिला बैतूल द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के कारण उपरोक्त राजपत्र में प्रकाशित नाम परिवर्तन सूचना एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.

विलास मंथनवार,
उप–नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म.प्र., भोपाल.

(G-777)

Notice

NOTIFICATION U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

It is published for general information that MRS. NATASHA BAGDI D/o SHRI JAYDAYAL KEDIA (W/o SHRI VERUN BAGDI) R/o, 30, SHRADHANAND MARG, CHHAWANI, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.)-452001 have joined as a new partners from 25-10-2021 in the firm "M/s S.S. INFRASTURUCTURE" 79, RAVINDRANATH TAGORE MARG, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.)-452001, registered *vide* registration No. 03-27-01-0313-21 Dt. 05-02-2021.

For- "M/s S.S. INFRASTURUCTURE"
AYUSH AGRAWAL,
(Partner).
Indore.

(G-778)

जाहिर सूचना

सर्वसामान्य को सूचित किया जाता है, कि फर्म मेसर्स बालाघाट मिनरल्स् जिसका गठन दिनांक 18–01–2019 को हुआ था. तथा जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड नं. 20, मंगल श्री सेल्स गुजरी चौक बालाघाट था. जिसमें फर्म प्रोसेसड MNo2 व्यापार का संचालन कर रही हैं. इस फर्म के सभी भागीदारों ने सर्वसहमति से फर्म में 09/09/2021 को पुर्नगठन करने का निर्णय लिया है, जिसमें भागीदार नं. 01 श्री संजीव अग्रवाल पिता श्री राधेश्याम अग्रवाल भागीदार नं. 02 जय आसाटी पिता श्री राज कुमार असाटी एवं भागीदार नं. 03 सनी वर्मा पिता श्री जगदीश चन्द्र वर्मा फर्म बालाघाट मिनरल्स् से अपना हिस्सा त्याग रहें हैं और यह फर्म वर्तमान में निगार परवीन पिता श्री अब्दुल हाइ खान एवं मोनिस अली पिता श्री इमरान अली द्वारा संचालित किया जाएगा. इसके आगे सर्वसामान्य को यह भी सूचित किया जाता है, कि वर्तमान में फर्म बालाघाट मिनरल्स् का रजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड नं. 03 पायली पंचायत पोस्ट धनसुआ, जिला बालाघाट है.

मेसर्स बालाघाट मिनरल्स्,
निगार परवीन,
(भागीदार).

(G-779)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिवहरे लिकर्स जिसका कार्यालय 130, ब्रह्मा बाग कॉलोनी, भोपाल के नाम से दिनांक 17–03–2006 को (1) श्री विनोद शिवहरे पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास शिवहरे, निवासी ब्यावरा, राजगढ़, (2) भैयालाल शिवहरे पुत्र श्री रामनारायण शिवहरे, निवासी नरसिंहगढ़, राजगढ़ द्वारा भागीदारी फर्म का गठन किया था तत्पश्चात् दिनांक 21–06–21 को उक्त भागीदारी फिर विलेख में संशोधन किया गया जिसके माध्यम से उक्त फर्म में विनोद शिवहरे और भैयालाल शिवहरे के अलावा 19 और भागीदार सम्मिलित हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं. (1) विनोद शिवहरे, (2) भैयालाल शिवहरे, (3) अजय शिवहरे, (4) राकेश राय, (5) विवेक शिवहरे, (6) रामस्वरूप शिवहरे, (7) मालवा रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, (8) कमला शिवहरे, (9) विनीत शिवहरे, (10) नीलम शिवहरे, (11) गोपाल शिवहरे, (12) दिनेश सेन, (13) अर्पित शिवहरे, (14) संजय शिवहरे, (15) अभय शिवहरे, (16) मनोज आशुदानी, (17) घनश्याम दास वासवानी, (18) कुलदीप सिंह, (19) हरेंद्र सिंह जादौन, (20) कैलाश चंद्र राठौर, (21) सहयोगी इंफ्रा केयर प्राइवेट लिमिटेड है. अतः उक्त भागीदारी फर्म में वर्तमान में उक्त 21 भागीदार के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति संस्था और कम्पनी का कोई हक व हिस्सा नहीं है. इस फर्म में सभी 21 भागीदार का हक व हिस्सा है तदनुसार सार्वजनिक को सूचित हो.

मैसर्स शिवहरे लिकर्स,
विनोद शिवहरे,
(पार्टनर).

(G-780)

Notice

NOTIFICATION U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

It is published for general information that due to demise of Smt. Kanta Porwal W/o Shri Kailash Chandra Porwal, R/o 43, Usha Nagar, Extn., Indore, Teh. & Dist. Indore (M.P.) Pin No. 452009 She is no longer associated with the partnership firm "M/s Mehta Enterprises, Regd. Office 13, Shakkar Bazar Main Road , F-1, Rajratan Complex, Indore, Teh. & Dist. Indore (M.P.) Pin No. 452001 w.e.f. 26-03-2021.

For- M/s Mehta Enterprises,
(KAILASH CHANDRA PORWAL)
(Partner).

(G-781)

Notice

It is published for general information that Shri Prakash Chandra Mehta S/o Late Shri Ratanlal Mehta, R/o 9/8, B-1, Y.N. Road, Indore, Th. & Dist. Indore (M.P.) Pin No. 452003 and Shri Sharad Mehta S/o Shri Prakash Chandra Mehta, R/o 9/8, B-1, Y.N. Road, Indore, Th. & Dist. Indore (M.P.) Pin No. 452003 has retired on 31-03-2020 from the firm M/s P.C. Mehta & Sons at 23, Sanyogitaganj, Indore, Th.& Dist. Indore (M.P.) Pin No. 452001 and Shri Yash Mehta S/o Shri Sushil Mehta, aged 27 years, 9/8, B-1, Y.N. Road, Indore, Th. & Dist. Indore (M.P.) Pin No. 452003 Smt. Manjusha Mehta W/o Shri Sushil Mehta, aged 51 Years 9/8, B-1, Y.N. Road, Indore, Th. & Dist. Indore (M.P.) Pin No. 452003 has joined as a new partner on 01-04-2020 in the firm M/s P.C. Mehta & Sons, 23, Sanyogitaganj, Indore, Th.& Dist. Indore (M.P.) Pin No. 452001.

For- M/s P. C. Mehta & Sons,
(SUSHIL MEHTA)
(Partner).

(G-782)

आम सूचना

मैसर्स एस. एस. इन्टरप्राइजेस फर्म की संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है. जिसमें श्री अनिल पाठक आत्मज श्री देशराज पाठक अपनी स्वयं की इच्छा से दिनांक 25—10—2021 से फर्म से अलग हो रहे हैं.

मेसर्स एस. एस. इन्टरप्राइजेस,
संतोष वितारी,
शैलेन्द्र तिवारी,
अनिल पाठन,
(साझेदार).

(G-783)

जाहिर सूचना

सर्व—साधरण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गिरनार लाजिस्टिक्स फर्म जिसका पता—34, गणेश गंज, अंतिम चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03—27—01—0016—18, दिनांक 19—04—2018 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री सुरेश अग्रवाल पिता श्री घासीलालजी अग्रवाल, 2. श्री रमेश अग्रवाल पिता श्री घासीलालजी अग्रवाल, 3. श्री पुखराज अग्रवाल पिता श्री शांतिलाल अग्रवाल, 4. श्री रविराज अग्रवाल पिता श्री शांतिलालजी अग्रवाल, 5. श्री नीरज अग्रवाल पिता श्री रमेश अग्रवाल एवं 6. श्री दीपेश अग्रवाल पिता स्व. श्री दिनेश अग्रवाल थे. तत्तपश्चात् दिनांक 31—03—2020 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री नीरज अग्रवाल पिता श्री रमेश अग्रवाल भागीदारी फर्म मेसर्स गिरनार लाजिस्टिक्स से पृथक् हो गये हैं. भागीदार श्री नीरज अग्रवाल पिता श्री रमेश अग्रवाल ने फर्म मेसर्स गिरनार लाजिस्टिक्स से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना—देना शेष नहीं है. यह विदित हो.

तर्फे—मेसर्स गिरनार लाजिस्टिक्स,
1. सुरेश अग्रवाल, 2. रमेश अग्रवाल, 3. पुखराज अग्रवाल,
4. रविराज अग्रवाल, 5. दीपेश अग्रवाल,
(पार्टनर).

(G-784)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रहली, जिला सागर (म.प्र.)

रा.प्र.क. बी—113 वर्ष 2021—22. रहली, दिनांक 11 अक्टूबर 2021

इश्तहार

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक धेरम श्रीनिवासा मूर्ती/बाबा सोमेश्वर पुरी पिता धिराम जगन्नादा राव, निवासी विश्व सोमानंद आश्रम ट्रस्ट राधिका पैलेस पचारा पिपरिया रोड, दमोह नाका गढ़ाकोटा, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं अन्य 3 ने विश्व सोमनंदा आश्रम ट्रस्ट राधिका पैलेस पचारा पिपरिया रोड दमोह नाका गढाकोटा का न्यास पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा—4 के अंतर्गत आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया. बिंदुवार जानकारी निम्नानुसार है:—

1. न्यास का पूरा नाम व पता — विश्व सोमनंदा आश्रम ट्रस्ट राधिका पैलेस पचारा पिपरिया रोड, दमोह नाका गढाकोटा, तहसील गढाकोटा, जिला सागर.
2. लोक न्यास की उत्पत्ति, स्वरूप और उद्देश्य — जाति पंथ आदि के भेदभाव के बिना बड़े पैमाने पर मानव जाति के कल्याण के लिए सनातन धर्म के उच्च मूल्यों को संरक्षित, सुरक्षित और प्रचारित करना है.
3. वह स्थान जहां लोक न्यास का प्रबंधन कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्थित है. — विश्व सोमानंद आश्रम ट्रस्ट राधिका पैलेस पचारा पिपरिया रोड दमोह नाका गढाकोटा, जिला सागर, (म.प्र.).

4. कार्यकारी न्यास धारी और प्रबंधन का नाम उनके पते सहित–

क्र.	नाम/पिता का नाम	आयु	पता	पद
1.	धेरम श्रीनिवासा मूर्ती/बाबा सोमेश्वर पुरी पिता धिराम जगन्नादा राव	63	विश्व सोमानंद आश्रम ट्रस्ट राधिका पैलेस पचारा पिपरिया रोड दमोह नाका गढाकोटा, जिला सागर.	संरक्षक, निदेशक (प्रधान न्यासी)
2.	आर वी वेणु गोपाल पुत्र सुब्रमण्य शर्मा	49	रूद्रपटला, प्लाट नं. 69, फ्लैट नं. 1, बालाजी 203, एन्क्लेव, त्रिरूमलानगर, मौलाली मेदल मलकाजगिरी जिला पोचम्मा मंदिर के पास सिंकदराबाद हैदराबाद तेलंगाना.	अध्यक्ष (उपप्रधान न्यासी)
3.	अभिषेक तिवारी पिता उमेश दत्त तिवारी	35	वार्ड नं. 97 गढाकोटा सागर म.प्र.	सचिव महामंत्री (न्यासी)
4.	अनिल कुमार मेहरा पिता दशरथ प्रसाद	36	कटंगी रोड स्टार सिटी फेज–3 करमेता, लामती, जबलपुर	कोषाध्यक्ष (न्यासी)

5. न्यासी पद या व्यवस्थापक पद के उत्तराधिकार की रीति – न्यासी बोर्ड में किसी भी रिक्त को न्यास प्रबंध न्यासी द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करके भरा जाएगा न्यासियों की संख्या प्रबंध न्यासी के विवेक पर निर्भर करती है.

6. न्यास को सृजित करने वाले लिखतमों के विवरण. – निरंक

7. न्यास से संबधित योजना यदि कोई हो तो विवरण प्रतियां संलग्न करें. – निरंक

8. ऐसी संपत्ति के प्रत्येक वर्ग की अनुमानित मूल सहित जंगम संपत्ति. – निरंक

9. स्थावर संपत्ति – निरंक

10. जमीन कीमती – निरंक

11. न्यास की आय के साधन – निरंक

12. कुल वार्षिक औसत आय – निरंक

10. कुल व्यय – निरंक

न्यासधारियों और प्रबंधक को दिये जाने वाले पारिश्रमिक. – निरंक

स्थापन व कर्मचारी पर व्यय – निःशुल्क धार्मिक उदेश्य पर–निरंक, पुण्यार्थ उदेश्यों पर–निरंक

11. न्यास संपत्ति पर ऋणभार यदि कोई हो के विवरण – नहीं.

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 17 नवम्बर 2021 को 11.00 बजे दिन को नियत की गई है. उक्त संबंध में जिसे आपत्ति हो, वह अपनी आपत्ति नियत दिनांक व समय पर उपस्थित होकर स्वयं अथवा किसी मान्य अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. म्यांद गुजरने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार आज दिनांक 11अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जमादार मालः–इश्तहार की ग्राम में विधिवत् मुनादी कराई जाकर एक प्रति ग्राम की आम चौपाल पर चस्पा कराई जावे तथा एक प्रति तामीली रिपोर्ट सहित तारीख पेशी के पूर्व न्यायालय को वापिस की जावे.

जीतेन्द्र कुमार पटेल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-785)

कार्यालय, पंजीयन, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन (म.प्र.)

प्र.क्र.0002—बी—113—2021—22. उज्जैन, दिनांक 12 नवम्बर, 2021

प्रारूप—चार

नियम—5(1) देखिये

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा—5—की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम—1962 का नियम—5(1) देखिए

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के **समक्ष.**

चूंकि आवेदक अध्यक्ष श्री देवकरण शर्मा, निवासी—गंगोत्री भवन, 12 सुभाष नगर, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951) का 30 (की धारा—4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को प्रातः 11:00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया गया.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को उक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	"श्री ऋषि संस्कृति संवर्धन पारमार्थिक (गुरूकुल) न्यास, चिंतामण गणेश क्षेत्र, तहसील व जिला उज्जैन मध्यप्रदेश".
कार्यालय	:	"श्री ऋषि संस्कृति संवर्धन पारमार्थिक (गुरूकुल) न्यास, परिसर रत्नाखेड़ी रोड़, चिंतामण गणेश क्षेत्र, तहसील व जिला उज्जैन मध्यप्रदेश".
अचल सम्पत्ति	:	सर्वे नं. 140/3 रकबा 05 बीघा ग्राम चिंतामण.
चल सम्पत्ति	:	बैंक ऑफ बडौदा शाखा वेदनगर, उज्जैन में जमा राशि रु. 3,41,195.

गोविंद दुबे,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-786)

कार्यालय, पंजीयक एवं लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, कोठीमहल, जिला उज्जैन

प्र.क्र.01—बी—113—2021—22. उज्जैन, दिनांक 12 नवम्बर, 2021

प्रारूप—चार

नियम—5(1) देखिए

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा—5—की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम—1962 का नियम—5(1) देखिए

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के **समक्ष.**

चूंकि आवेदक श्री नित्यानंद आश्रम सतसंग न्यास उज्जैन, पता मधुरम एल. आई. जी—बी—20—17, वेदनगर नानाखेडा, उज्जैन अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत शर्मा पिता शिवदत्त जी शर्मा, निवासी ए—20/15, बंसत बिहार इन्दौर रोड उज्जैन ने लोक न्यास अधिनियम, 1951

का 30 (की धारा–4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 नवम्बर 2021 को प्रातः 11:00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया गया.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 26 नवम्बर 2021 को उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	श्री नित्यानंद आश्रम सतसंग न्यास उज्जैन, पता मधुरम एल. आई. जी.बी–20/17, वेदनगर नानाखेडा, उज्जैन.
कार्यालय	:	मधुरम एल. आई. जी.बी– 20/17, वेदनगर नानाखेडा, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	–
चल सम्पत्ति	:	–

कल्याणी पाण्डेय,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-787)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2021.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2021—कार्तिक 28, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.